उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

फाईनल डिक्री सं0 – 17/2005

कमला देवी.....वादिनी।

बनाम्

विन्ध्याचली देवी वगै0 ..... प्रतिवादीगण।

30.07.2025

आदेश

आवेदक और प्रतिवादी की पैरवी है। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के तरफ से दिनांक 22.03.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि इस वाद के वादिनी कमला देवी की मृत्यु दिनांक 15.10.2024 को हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि मृत वादिनी कमला देवी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा आवेदक राहुल कुमार का नाम वादी के रूप में दर्ज कर पक्षकार बनाने का आदेश दिया जाय।

पुकार पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित करते हैं।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी कमला देवी द्वारा अपना हक हिस्सा और दखल की ऐराजी का निबंधित केबाला दिनांक 27.02.2013 और दिनांक 18.02.2004 द्वारा आवेदक के पक्ष में निस्पादित और निबंधित कर हक और दखल कब्जा दे चुकी है और आवेदक कमला देवी द्वारा निस्पादित केबाला का क्रेता है। आवेदक मृतक कमला देवी के द्वारा निस्पादित Testamentery दस्तावेज के आधार पर उनके साख को पूर्णतः प्रस्तुत करते है। अतः आवेदक का इस वाद में डायरेक्ट इन्टरेसट है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तरफ से उक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किये है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 22.03.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत वादिनी कमला देवी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वादिनी कमला देवी का नाम वाद पत्र से कलमजद करें और आवेदक राहुल कुमार का नाम वाद पत्र में वादी के रूप में दर्ज करें।

दिनांक– 03.09.2025 वास्ते सुनवाई हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)